

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रपरिषद के महत्वपूर्ण नरिणय

चर्चा में क्यों?

- 26 सतिंबर, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके नविस कार्यालय में आयोजति मंत्रपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण नरिणय लयि गए।

प्रमुख बदि

- मंत्रपरिषद की बैठक में खरीफ वपिणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन तथा कस्टम मलिगि की नीतिका नरिधारण कयिा गया।
- इसके तहत भारत सरकार द्वारा घोषति समर्थन मूल्य के अनुसार धान एवं मक्का का उपार्जन कयिा जाएगा। समर्थन मूल्य पर कसिनो से खरीफ धान की नगद व लकिगि में खरीदी 1 नवंबर, 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक की जाएगी।
- इसी प्रकार खरीफ मक्का की खरीदी 1 नवंबर, 2023 से 28 फरवरी, 2024 तक की जाएगी।
- मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप कसिनो से धान की खरीदी प्रति एकड़ 20 क्वटिल एवं मक्का प्रति एकड़ 10 क्वटिल लकिगि सहति अधिकतम की जाएगी।
- खरीफ वपिणन वर्ष 2023-24 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी वपिणन संघ मर्यादति को धान उपार्जन के लयि शासकीय प्रत्याभूति (राशा 14 हज़ार 700 करोड़ रुपए) की वैधता एक वर्ष बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर, 2024 तक करने का नरिणय लयिा गया।
- खरीफ वपिणन वर्ष 2023-24 में उपार्जति धान की कस्टम मलिगि से प्राप्त परिणामी चावल के फोर्टफिकेशन के लयि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी वपिणन संघ मर्या. (नेफेड) के माध्यम से फोर्टफाईड राईस कर्नेल (एफ.आर.के.) की आपूर्तकिये जाने की सहमति प्रदान की गई।
- राज्य नयायालयकि वैज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के अंतरगत वैज्ञानकि अधिकारी (भौतकि राजपत्रति, द्वितीय श्रेणी) से वरषिठ वैज्ञानकि अधिकारी (भौतकि राजपत्रति प्रथम श्रेणी) के पद पर पदोन्नति हेतु नयूनतम अरहकारी सेवा 5 वर्ष में 4 माह का शथिलीकरण करने का अनुमोदन कयिा गया।
- राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 6 क्रमांक 4 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन कयिा गया।
- ग्राम पंचायत घुमका, ज़िला- राजनांदगाँव को नगर पंचायत बनाए जाने हेतु नरिधारति मापदंड में छूट प्रदान करने का नरिणय लयिा गया।
- ग्राम पंचायत पोरथा, ज़िला-सक्ती को नगर पंचायत बनाए जाने हेतु नरिधारति मापदंड में छूट प्रदान करने का नरिणय लयिा गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य हनिंदी ग्रंथ अकादमी में सुदीप ठाकुर को संचालक (संवदि) नयुक्त करने का नरिणय लयिा गया।
- श्री रामेश्वर गहरिा गुरु प्राच्य संस्कृत महाविद्यालय श्री कोट, ज़िला-बलरामपुर-रामानुजगंज को छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं वनिथिमन) अधनियिम, 2006 के प्रावधान के अंतरगत 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान करने का नरिणय लयिा गया।